न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /2012 जिला–सीधी

श्री .... द्वारा आज दि. 9/11/12 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

(1) विष्णुप्रसाद पुत्र सुतीक्षण प्रसाद, निवासी– कुंआ तहसील रामपुर नैकिन जिला–सीधी (म.प्र.)

(2) मनरजुआ पुत्र उदित नारायण, निवासी– भितरी, तहसील रामपुर नैकिन जिला–सीधी (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

(1) रामानन्द पाण्डेय पुत्र अनुरूद्ध प्रसाद पाण्डेय, निवासी– ग्राम कटेरी, तहसील सिरमोर, जिला–रीवा (म.प्र.)

(2) रविशंकर शुक्ला पुत्र रामनरेश, निवासी– ग्राम झगरी हाल मुकाम सीधी (म.प्र.) वर्तमान पटवारी हल्का बम्हनी तहसील गोपदवनास जिला–सीधी

...... अनावेदकगण

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 1282-III/2011 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22.10.2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, आवेदकगण द्वारा ग्राम कुंआ में स्थित भूमि आराजी क्रमांक 550, 553 के भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी अनुरूद्ध पिता रामाचार्य राम थे, जो कि विगत 15–20 वर्षों से लापता हो गये हैं। तत्पश्चात् उपरोक्त भूमि के भूमि स्वामी उनका पुत्र रामानन्द पाण्डेय हो गया था तथा रामानन्द पाण्डेय द्वारा विवादित भूमि का विक्रय आवेदकगण विष्णुप्रसाद पुत्र सुतीक्षण प्रसाद को रकवा 2/3 एवं मनरजुआ पुत्र उदितनारायण राम को रकवा 1/3 का किया गया था। अतः उक्त विक्रय टीप के आधार पर आवेदकगण द्वारा विवादित भूमि पर नामान्तरण कराये जाने बाबत आवेदन–पत्र कार्यालय ग्राम पंचायत कुंआ को प्रस्तुत किया था। ग्राम पंचायत कुंआ द्वारा प्रकरण में विधिवत् रूप से इस्तहार का प्रकाशन कर आपत्तियां आमंत्रित कर प्रस्ताव क्रमांक 14 दिनांक 07.02.2002 द्वारा आवेदकगण के हित में जरिये विक्रय टीप के आधार पर नामान्तरण के आदेश दिये गये थे।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 3877–एक/12 **जिला** –सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
27.6.16	आवेदक की ओर से श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2–यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1282–तीन/2011 में पारित आदेश दिनांक 22.10.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 3877–एक/12 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । 3– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1282–तीन/2011 में वर्णित हैं । जिनका निराकरण आदेश दिनांक 29.12.05 से किया जा चुका है। 4– रिव्यु प्रकरण कमांक 3877–एक/12 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :–	

Rev 3877-I/12 सीकर

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नही पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(के0 सी0 जैन)
सदस्य